



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2016/अग्रहायण 2, 1938

No. 356]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2016/AGRAHAYANA 2, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2016

सं.11 (5)/2009-डीबीए-II/एनईआर.— सरकार ने दिनांक 22.01.2013 की अधिसूचना सं. 11 (5)/2009-डीबीए-II/एनईआर द्वारा अधिसूचित की गई मालभाड़ा राजसहायता योजना, 2013 को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले मालभाड़ा राजसहायता योजना, 2013 के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां ही इस योजना के तहत लाभ की पात्र होंगी। इसके अलावा, 22.01.2013 से पहले पूर्ववर्ती परिवहन राजसहायता योजना (टीएसएस), 1971 के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां, जो टीएसएस, 1971 के प्रावधानों के तहत राजसहायता की पात्र हैं, वे दिनांक 22.01.2013 की अधिसूचना सं. 11 (5)/2009-डीबीए-II/एनईआर के प्रावधानों के अनुसार बकाया लाभों के लिए पात्र बनी रहेंगी।

2 पात्र औद्योगिक इकाइयों को टीएसएस, 1971 और एफएसएस, 2013 के तहत राजसहायता का संवितरण इसके बाद से औद्योगिक इकाई के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा तथा नोडल एजेंसी के माध्यम से नहीं होगा। अन्य सभी मामलों में नोडल एजेंसियों की भूमिका यथावत बनी रहेगी

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Industrial Policy and Promotion)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2016

**F.No.11(5)/2009-DBA-II/NER.**— The Government has decided to discontinue the Freight Subsidy Scheme, 2013, notified vide notification F.No.11(5)/2009-DBA-II/NER dated 22.01.2013, with immediate effect. Accordingly, industrial units registered under the Freight Subsidy Scheme, 2013 prior to the date of issue of this notification alone will be eligible for the benefits of the scheme. In addition, industrial units registered under the erstwhile Transport Subsidy Scheme (TSS), 1971 prior to 22.01.2013 who are eligible for subsidy under the provisions of TSS, 1971, will continue to be eligible for residual benefits as per provisions of notification F.No.11(5)/2009-DBA-II/NER dated 22.01.2013.

2. Disbursement of subsidies under TSS, 1971 and FSS, 2013 to eligible industrial units will be henceforth through Direct Benefit Transfer mechanism to be credited into the bank accounts of the beneficiary industrial units and not through the Nodal Agency. The role of the Nodal Agencies in all other respects would continue as before.

VANDANA KUMAR, Jt. Secy.